

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

क्रमांक-७५/वि.स./संपदा/2018

रायपुर, दिनांक १/०९/२०१८

// निविदा आमंत्रण //

विधान सभा सचिवालय परिसर स्थित भवनों एवं आवासीय परिसर में स्थित सामुदायिक भवन की प्रतिमाह की दर पर साफ-सफाई हेतु अनुभवी प्रतिष्ठित फर्म/एजेंसी से सील बंद प्रस्ताव दिनांक 30 सितम्बर, 2018 को अपराह्न 3:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त प्रस्ताव क्रय समिति के समक्ष खोले जायेंगे। इस दौरान प्रस्ताव देने वाले अथवा उनके द्वारा अधिकृत एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे।

प्रस्ताव हेतु प्रपत्र, विस्तृत शर्तों आदि की जानकारी विधान सभा सचिवालय की संपदा शाखा कक्ष क्रमांक बी-07 से रूपये 1000/- (रूपये एक हजार मात्र) जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा विधान सभा की वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in से डाउनलोड भी की जा सकती है, जिसके शुल्क के रूप में रूपये 1000/- (रूपये एक हजार मात्र) विधान सभा सचिवालय की लेखा शाखा में, निविदा प्रस्ताव जमा करने के पूर्व जमा करना होगा।

किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को अमान्य करने का सर्वाधिकार सचिव, विधान सभा को होगा।

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

निविदा प्रपत्र

विधानसभा भवन/परिसर की सफाई का कार्य

निविदा प्रपत्र का मूल्य : 1000/- (रूपये एक हजार मात्र)
धरोहर राशि : 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र)

1. तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव के रूप में अलग-अलग दो पृथक-पृथक सील बंद लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा ।
2. तकनीकी प्रस्तावों के साथ तकनीकी प्रस्तावों का निविदा प्रपत्र संबंधी दस्तावेज एवं निविदा की शर्तें संलग्न की जानी है ।
3. तकनीकी प्रस्ताव पूर्ण पाए जाने वाले निविदाकारों के ही वित्तीय प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा ।
4. तकनीकी प्रस्ताव में पूर्ण वांछित जानकारी नहीं दिये जाने अथवा केवल आधी-अधूरी जानकारी दिये जाने, शर्तें सम्मिलित करने, अस्पष्ट जानकारी दिये जाने पर निविदाकार को पृथक कर दिया जाएगा तथा उनके वित्तीय प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा ।
5. वित्तीय प्रस्ताव में राशि अंको व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी जिसमें सभी प्रकार के कर शुल्क आदि सम्मिलित होना चाहिए ।

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

निविदा प्रपत्र
साफ-सफाई कार्य हेतु तकनीकी प्रस्ताव

(भाग-एक)

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम :
2. स्थाई पता :
3. पत्र व्यवहार का पता :
4. टेलीफोन नम्बर : एस.टी.डी. कोड ईमेल एड्रेस.....
मोबाईल नम्बर :
5. धरोहर राशि जमा विवरण रूपये 50,000/- एफ.डी.
नम्बर : दिनांक.....
बैंक का नाम एवं पता :
6. (अ) पूर्व अनुभव का विवरण (संस्था द्वारा अवधि एवं कार्य संतुष्टि प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है अधूरी जानकारी प्रस्तुत करने वाले निविदाकारों के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा)

क्रमांक	संस्था का नाम	अवधि	राशि	कार्य विवरण	कार्य छोड़ने का कारण	कार्य समयावधि पूर्ण होने पर या पहले छोड़ा गया

(ब) वर्तमान में कहां-कहां कितनी अवधि से कार्य कर रहे हैं व कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ।

क्रमांक	संस्था का नाम	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक एवं अवधि	कर्मचारियों की संख्या

7. साफ-सफाई कार्य में प्रयुक्त किये जाने वाले यंत्रों का विवरण

क्रमांक	नाम यंत्र का मेक एवं निर्माण वर्ष	यंत्र का कार्य	संख्या

8. कर निर्धारण वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के आयकर गणना (INCOME TAX RETURN) प्रपत्र की छाया प्रति संलग्न करें ।
9. वस्तु एवं सेवा कर (GST) संबंधी पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें ।
10. कर्मचारी भविष्य निधि पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें ।
11. श्रम विभाग संबंधी पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें ।

मैंने/ हमने निविदा में दी गई समस्त शर्तें पढ़ ली है , मुझे/हमें समस्त शर्तें स्वीकार है । प्रमाण स्वरूप मैंने/हमने निविदा की शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिये है ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

निविदा प्रपत्र

(भाग-दो)

साफ-सफाई कार्य हेतु वित्तीय प्रस्ताव

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम :
2. स्थाई पता :
3. रायपुर में कम्पनी का पूरा पता व कार्यालय कब से स्थापित है संबंधी जानाकारी (मय प्रमाण के) :
4. टेलीफोन नम्बर :, एस.टी.डी. कोड, ईमेल एड्रेस,,
मोबाईल नम्बर :
5. विधानसभा परिसर में स्थित समस्त भवनों के कक्षों की साफ-सफाई तथा आवासीय परिसर स्थित कम्प्यूनिटी हॉल की साफ-सफाई की राशि प्रतिमाह समस्त कर सहित अंको में रूपये,,
शब्दों में रूपये,

*मैंने/ हमने निविदा में दी गई समस्त शर्तें पढ़ ली है , मुझे/हमें समस्त शर्तें स्वीकार है । प्रमाण स्वरूप मैंने/हमने निविदा की शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिये है ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

-: निविदा की शर्तें / जानकारी:-

1. निविदा प्रदायकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह कर निर्धारण वर्ष 2015 - 2016, 2016 - 2017 एवं 2017 - 2018 के आयकर गणना (INCOME TAX RETURN) प्रपत्र की छाया प्रति, वस्तु एवं सेवा कर (GST) संबंधी पंजीयन, श्रम विभाग एवं कर्मचारी भविष्य निधि पंजीयन की प्रति निविदा के साथ संलग्न करें एवं निविदाकार को कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि भुगतान का प्रमाण यथा समय प्रस्तुत करना होगा ।
2. शासकीय कार्यालयों में कम से कम 03 वर्ष साफ-सफाई कार्य का अनुभव का प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा ।
3. प्रत्येक निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में रुपये 50,000/- (अक्षरी रुपये पचास हजार मात्र) का एफ0डी0 सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर के नाम से देय संलग्न करना होगा ।
4. विधानसभा परिसर स्थित भवनों की नियमित रूप से सफाई एवं आवासीय परिसर स्थित सामुदायिक भवन की सप्ताह में एक बार अनिवार्यतः/आवश्यकतानुसार करने के लिये कार्य क्षेत्रफल का अवलोकन हेतु संपदा शाखा से कार्यालयीन दिवस एवं समय पर संपर्क किया जा सकता है ।
5. निविदाकर्ता द्वारा निविदा, निर्धारित तिथि एवं समय पर सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, विधान नगर, रायपुर को संबोधित करते हुए सम्पदा शाखा में प्रस्तुत की जा सकती हैं ।
6. निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी ।
7. निविदा को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का सर्वाधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा को होगा ।
8. ठेकेदार को विधानसभा भवन एवं विधानसभा परिसर में स्थित सभी भवनों के कक्ष, बरामदे, छत, आंगन, शौचालयों, रेलिंग, गलियारों, सीढ़ियों, समस्त खुले परिसर सहित की साफ-सफाई करना होगा तथा दरवाजे, खिडकियों से धूल-जाले तथा पान-तम्बाखू के दाग भी हटाना होगा ।
9. विधानसभा सत्र के दौरान सुबह 8:30 बजे के पूर्व सफाई करना अनिवार्य होगा और आवश्यकतानुसार सफाई कर्मी भी बढ़ाना होगा ।

10. सभा भवन, लॉबी, माननीय अध्यक्ष, मंत्रीगणों एवं विभिन्न कक्षों में लगे कारपेट की सफाई विशिष्ट उपकरण से की जानी होगी ।
11. शौचालयों की सफाई में उत्तमगुणवत्ता के फिनाईल, लिक्विड सोप, फिनाईल गोलियाँ, ऑडोनिल फ्रेशनर, टॉयलेट पेपर रोल के प्रयोग के साथ हारपिक जैसे लिक्विड के प्रयोग से किया जाना होगा, शौचालयों की सफाई प्रति घंटे के अंतराल में करनी होगी । समस्त सामग्री का स्टॉक भी निरन्तर रखना होगा ।
12. सभा कक्ष के साथ जिन कक्षों में कारपेट लगा हुआ है वहां वैक्यूम क्लीनर एव शैम्पू से सफाई किया जाना होगा ।
13. डस्टबीन की सफाई कर, कचरा हटाकर परिसर में नियत स्थान पर ले जाकर डालना होगा ।
14. महिला शौचालयों की सफाई हेतु महिला सफाई कर्मी आवश्यक रूप से रखना होगा ।
15. सभी सफाई कर्मी को ड्रेस देना होगा तथा शर्ट की जेब में सफाई कर्मी अंकित हो, जो स्पष्ट दिखाई दे ।
16. जहाँ जहाँ साफ - सफाई के साथ पोछा एवं धुलाई की आवश्यकता होगी, वह भी करना होगा साथ ही सप्ताह में कम से कम एक दिन अथवा आवश्यकतानुसार फर्श, सीढियों, रेम्प (टाइल्स, मार्बल व कोटा स्टोन) की सफाई करनी होगी ।
17. भवनों का जो भाग, अंतःसत्रकाल में इस्तेमाल नहीं होता है, उसकी साफ-सफाई भी सप्ताह में दो दिन की जाएगी ।
18. सभी फर्नीचरों, दरवाजों, खिडकियों तथा कांच/ग्रिल की रोजाना सफाई की जायेगी ।
19. मशीनों का उपयोग मार्बल/कोटा स्टोन, टाइल्स तथा फर्श आदि के लिए किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त अन्य कोई मशीन जिससे कार्यगुणवत्ता बढ़ती हो तो निविदाकर्ता उसका पृथक से उल्लेख निविदा प्रस्ताव में कर सकता है ।
20. सफाई कर्मियों को अनुशासन में रहकर कार्य करना होगा तथा कक्षों में रखे अभिलेख एवं उपकरणों से छेड़छाड़ नहीं करना होगा यदि किसी अभिलेखों या उपकरणों को क्षति पहुंचाना पाया गया तो होने वाली हानि की सम्पूर्ण वसूली ठेकेदार से की जायेगी ।

21. सफाई कर्मचारी नियमित रूप से प्रातः 8:30 से संध्या 5:30 तथा सत्रकाल में सदन की बैठक समाप्ति तक आवश्यकतानुसार उपस्थित रहेंगे ।
22. सुरक्षा की दृष्टि से, समस्त सफाई कर्मियों की व्यक्तिगत पहचान से संबंधित दस्तावेज की सत्यापित फोटो प्रति सुरक्षा शाखा में जमा करना आवश्यक होगा ।
23. सफाई कर्मियों के संदिग्ध अवस्था में पाए जाने, विधानसभा कर्मियों से दुर्व्यवहार करने, एवं ठीक से काम नहीं करने पर उसे विधानसभा की साफ-सफाई कार्य से हटा दिया जावेगा ।
24. विधानसभा भवन की उचित साफ-सफाई न होने पर, शिकायत आने पर, अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर या निरीक्षण में लापरवाही एवं अनियमितता पाये जाने की स्थिति में रुपये 2,000/- (रुपये दो हजार) तक प्रतिदिन शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित कर कटौती मासिक देयक से की जावेगी ।
25. सफाई की पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था निविदाकार फर्म द्वारा की जावेगी तथा सचिवालय की संपदा शाखा की देख-रेख में उसका उपयोग किया जावेगा, आवश्यकता पड़ने पर इसकी गुणवत्ता की जांच सचिवालय या निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी ।
26. परिसर में जब मशीनों का उपयोग नहीं रहेगा तब सचिवालय द्वारा निर्धारित अवधि में मशीनों को परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति विधानसभा सचिवालय से प्राप्त करनी होगी ।
27. अनुबंधकर्ता नियत अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा, बीच में कार्य छोड़े जाने पर सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी ।
28. प्रत्येक माह सफाई का कार्य संतोषजनक पाये जाने तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा सत्यापन पश्चात् ही माह के अंत में प्रस्तुत देयक का भुगतान किया जावेगा ।
29. अन्तःसत्रकाल में कम से कम 12 सफाई कर्मी तथा सत्रकाल में आवश्यकतानुसार अधिक सफाई कर्मी रखना आवश्यक होगा ।
30. कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर सचिवालय द्वारा कभी भी अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा । ठेके की अवधि में उत्पन्न होने वाले किसी विवाद पर निर्णय करने का संपूर्ण अधिकार अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर को होगा तथा उनका निर्णय बंधनकारी होगा ।

31. ठेके का अनुबंध एक वर्ष के लिये किया जावेगा, किन्तु सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा को ठेके की अवधि में वृद्धि या कमी करने का पूर्ण अधिकारी होगा ।
32. सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर अनुबंध संपादित कर कार्य प्रारंभ करना होगा ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा,